ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली

73वां संविधान संशोधन और संस्थागत ढांचा

कॉलेज: स्वामी विवेकानंद गर्ल्स कॉलेज, रूपनगढ़

व्याख्याता: मिस फराह | **कक्षा:** BA सेमेस्टर 3

Made with GAMMA

पंचायती राज: भारत की ग्रामीण शासन प्रणाली

परिचय

पंचायती राज भारत की ग्रामीण शासन की सबसे पुरानी प्रणाली है, जिसमें स्थानीय समुदाय स्वयं अपने मामलों का प्रबंधन करता है। यह लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है।

स्थानीय स्वशासन

गाँव के लोग अपने निर्णय स्वयं लेते हैं

तीन स्तरीय संरचना

ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर

लोकतांत्रिक भागीदारी

सभी नागरिकों को भाग लेने का अधिकार

Made with GAMMA

भारत में पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास

1. **प्राचीन काल**

   गाँवों में पंच प्रणाली का प्रचलन, जहाँ पाँच बुजुर्ग सामुदायिक मामलों का निर्णय करते थे

2. **ब्रिटिश शासन (1882)**

   लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, लेकिन सीमित शक्तियाँ

3. **स्वतंत्रता के बाद (1950s)**

   पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, लेकिन राज्य सरकारों के अधीन

4. **बलवंत राय मेहता समिति (1957)**

   त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश

Made with GAMMA

73वां संविधान संशोधन (1992)

ऐतिहासिक महत्व

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारतीय ग्रामीण शासन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की और उनके अधिकारों को सुरक्षित किया।

मुख्य विशेषताएँ:

- पंचायतों का संवैधानिक स्तर
- नियमित चुनाव का प्रावधान
- स्थायी धन संसाधन
- स्त्री एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

महत्वपूर्ण तथ्य: यह संशोधन 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ और भारतीय संविधान में नया भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O) जोड़ा गया

Made with GAMMA

73वें संशोधन के उद्देश्य

विकेंद्रीकरण

शक्ति का राज्य से स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण करना ताकि निर्णय ग्रामीणों के समीप हों

सामाजिक न्याय

महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना

जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित चुनाव और लेखा परीक्षा

स्थानीय विकास

ग्रामीण विकास की योजनाओं को स्थानीय स्तर पर निर्माण और कार्यान्वयन

Made with GAMMA

पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना

ग्राम पंचायत

सबसे निचला स्तर – एक या अधिक गाँवों को शामिल करती है। यह ग्राम सभा और पंचायत सदस्यों से मिलकर बनी होती है।

पंचायत समिति

मध्य स्तर – कई ग्राम पंचायतों का समूह। यह ब्लॉक या तालुका स्तर पर कार्य करती है।

जिला परिषद

उच्चतम स्तर – संपूर्ण जिले के लिए। यह सभी पंचायत समितियों का समन्वय करती है।

Made with GAMMA

ग्राम पंचायत का संस्थागत ढांचा

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह वार्षिक या अर्धवार्षिक बैठकें करती है।

- सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक
- नीतिगत निर्णयों की स्वीकृति
- वित्तीय विवरण की समीक्षा

ग्राम पंचायत

ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिक निकाय। यह दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है।

- सरपंच और पंचायत सदस्य
- निर्वाचित प्रतिनिधि (5-21)
- 5 वर्ष का कार्यकाल

Made with GAMMA

ग्राम पंचायत की संरचना और सदस्य

सरपंच

ग्राम पंचायत का प्रमुख, जो सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है

उपसरपंच

सरपंच की अनुपस्थिति में कार्य संभालता है

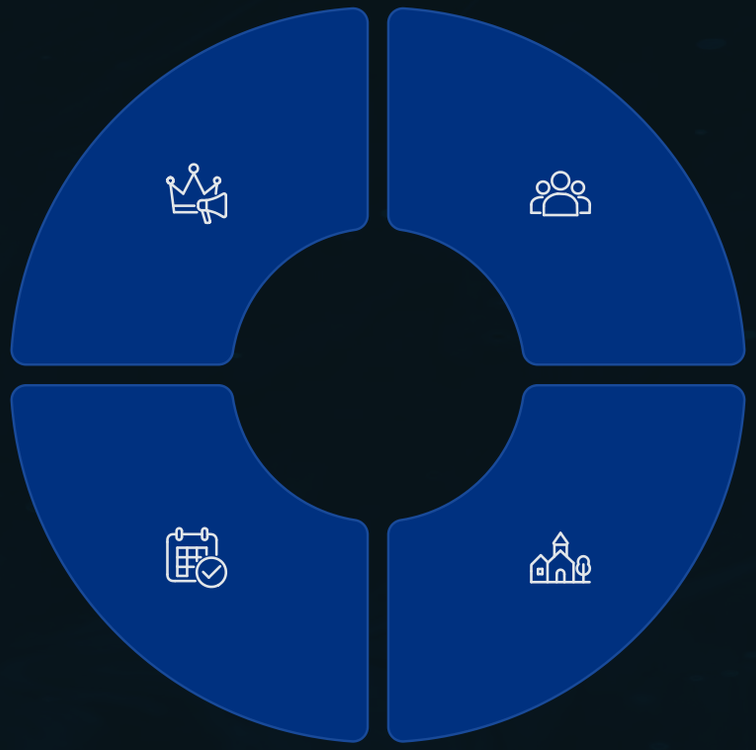

आरक्षण

SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें (कम से कम 1/3)

पंच/पार्षद

ग्राम पंचायत के सदस्य, जो वार्डों से चुने जाते हैं

निर्वाचन प्रक्रिया

1. मतदाता सूची तैयार करना
2. नामांकन पत्र दाखिल करना
3. मतदान और परिणाम घोषित करना

कार्यकाल

पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके बाद नए चुनाव होते हैं। अवधि पूर्व समाप्ति पर अंतरिम प्रबंधन

Made with GAMMA

ग्राम पंचायत के कार्य और शक्तियाँ

सार्वजनिक सुविधाएँ

सड़कें, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पानी की आपूर्ति का निर्माण व रखरखाव

कृषि विकास

सिंचाई, खेती के उपकरण, बीज व खाद की व्यवस्था, जानवरों की संभाल

स्वास्थ्य सेवाएँ

टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

शिक्षा संवर्धन

प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, साक्षरता कार्यक्रम

वित्तीय प्रबंधन

बजट तैयार करना, कर वसूली, विकास कार्यों के लिए निधि आवंटन

सामाजिक कल्याण

गरीबी उपशमन, रोजगार योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन

Made with GAMMA

वित्तीय स्रोत, महत्व और चुनौतियाँ

वित्तीय स्रोत

- स्थानीय कर (भूमि, गृह, मनोरंजन)
- राज्य सरकार से अनुदान
- केंद्र सरकार की योजनाएँ
- पंचायत समिति से स्थानांतरण
- स्वयं सहायता समूह से सहयोग

ग्रामीण शासन में महत्व

ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास की आधारशिला है। यह स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान, जनभागीदारी बढ़ाने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

समक्ष चुनौतियाँ

वित्तीय स्वावलंबन

सीमित स्वयं सहायता और राज्य पर निर्भरता

प्रशिक्षण की कमी

सदस्यों को प्रशासनिक कौशल का प्रशिक्षण नहीं

राजनीतिक हस्तक्षेप

उच्च स्तर की राजनीति से स्वतंत्रता की कमी

जागरूकता का अभाव

ग्रामीणों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं

निष्कर्ष

73वें संशोधन ने ग्रामीण शासन में क्रांति ला दी है। ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास के लिए सशक्त संस्थाएँ बनी हैं। हालाँकि, वित्तीय स्वावलंबन और सक्षमता विकास की आवश्यकता है। सक्रिय नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता से ग्राम पंचायतें और अधिक प्रभावी हो सकती हैं।

Made with GAMMA